महत्वपूर्ण

संख्या 2283/नौ–9–2010–164ज/2009

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनॉक 30 नवम्बर, 2010

विषयः–बिटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाइनरी से प्राप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया शासन के पत्र संख्या–197/9–7–09–1ज/ 2009 दिनांक 30.07.2009, संख्या–2497/9–9–09–164ज/2009 दिनांक 29.12.2009 संख्या–65/9–9–10–164ज/2009 दिनांक 07.01.2010 संख्या–151/9–9–10–164ज/2009 दिनांक 16.01.2010 संख्या–280/ 9–9–10–164ज/2009दिनांक 01.02.2010 संख्या– 322/ 9–9–10–164 ज/2009 दिनांक 15.02.2010 तथा संख्या–1262/9–9–10–164ज/2009 दिनांक 09.06.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से बिटुमिन की आपूर्ति सीधे रिफाइनरी से प्राप्त किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

2. बिटुमिन उत्पादन का मूल स्रोत रिफाइनरी है जहॉ से विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिटुमिन का सीधे क्रय कर उपयोग किये जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। यह तथ्य संज्ञान में आये हैं कि कार्यादेश में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिटुमिन के प्रयोग के उत्तरदायित्व हेतु कान्ट्रैक्टर का उल्लेख किया जाता है परन्तु यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से प्राप्त की गयी है या नहीं। फलस्वरूप समग्र मांग एवं रिफाइनरी से आपूर्ति में अन्तर आ जाता है और बिटुमिन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। अतएव आवश्यक है कि सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी से प्राप्त की जाए।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मार्ग निर्माण हेतु ठेकेदारों/कार्यदायी संस्थाओं/निकायों द्वारा बिटुमिन की आपूर्ति रिफाइनरी/एच0पी0सी0एल0, आई0ओ0सी0 के अधिकृत डिपो से प्राप्त की जाये। छोटे कार्यों के लिये बिटुमिन की आपूर्ति प्रान्तीय खण्ड या लोक निर्माण विभाग के अन्य खण्ड, जहां पर्याप्त मात्रा में बिटुमिन का भण्डारण हो, से प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः

1. बिटुमिन की आपूर्ति का प्रमाण, यथा आपूर्ति आदेश, बैंक ड्राफ्ट द्वारा किये गये भुगतान की रसीद, भुगतान प्राप्त करने से पूर्व सक्षम विभागीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाये।

2. बल्क बिटुमिन की आपूर्ति की स्थिति में प्रत्येक टैंकर पर बिटुमिन पेनीट्रेशन टेस्ट के परिणाम पर स्थल पर ही सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता अपने नाम सहित हस्ताक्षर करेंगे और समय व स्थल का उल्लेख करेंगे और उन्हे निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र भी निर्गत करना होगा। यदि भविष्य में निरीक्षण अथवा जांच के दौरान बिटुमिन अधोमानक पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता इसके लिये पूर्णतः उत्तरदायी होंगें।

3. विभागीय कार्यों हेतु बिटुमिन निकाय की स्टोर पंजिका में प्रविष्टि के उपरान्त ही कार्य हेतु निर्गत का जाये।

4. जिन फर्मों/ठेकेदारों के अनुबन्धों में बिटुमिन की आपूर्ति की शर्त लगी हुई है उन ठेकेदारों द्वारा रिफाइनरी से जो बिटुमिन प्राप्त किया जाना है उसके सम्बन्ध में आपूर्ति आदेश तथा डिलीवरी शैड्यूल, कार्य स्थल का नाम देते हुए रिफाइनरी का भेजा जाना आवश्यक होगा।

5. रिफाइनरी द्वारा प्रतिमाह विभिन्न संस्थाओं को निर्गत बिटुमिन के सम्बन्ध में स्टेटमेन्ट जारी किया जाता है। रिफाइनरी के वेबसाइट पर भी यह स्टेटमेन्ट रहता है। अतएव सम्बन्धित निकाय के सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि रिफाइनरी से बिटुमिन प्राप्ति की पुष्टि उनसे हार्ड कापी मंगाकर अथवा उनके वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। बिटुमिन प्राप्ति के सम्बन्ध में सूचना प्रत्येक देयक के साथ निकाय कार्यालय में रखना आवश्यक होगा।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

go-g

संख्या एवं तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0)।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

23.11.11

(विपिन कुमार द्विवेदी)

विशेष सचिव।

go-g